

69

संख्या- 623 /2015/1308/69-1-2015-46(बजट)/2013

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्नयन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 08 जुलाई, 2013

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में शहरी क्षेत्रों की मिलिन बस्तियों में इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधा के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-498/76/एक/एवीएमबीबीएई/2013-14, दिनांक 13 मई 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मिलिन बस्तियों में इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत जनपद-आगरा की देश निगम, आगरा की 04 परियोजनाओं एवं जनपद-बदायूँ की न०प०, उसहैत, उसावां, वजीरगंज व कुवरगांव एवं कछला की 04 परियोजनाओं अर्थात् उक्त जनपदों की विभिन्न निकायों की विभिन्न मालिन बस्तियों की कुल 08 परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट में प्राविधानित धनराशि से शासनदेश संख्या-167/26-ब०प्र०-2014-46(बजट)/2013, दिनांक 26 फरवरी, 2014 द्वारा रु० 429.69 लाख की प्राप्ताएँकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु० 214.845 लाख की धनराशि प्रथम किशत के रूप में जारी की गयी थी। अतएव उक्त जनपदों में से केवल जनपद-बदायूँ की न०प०, उसहैत, उसावां, वजीरगंज एवं कुवरगांव एवं कछला की 04 परियोजनाओं के गार्डों को पूर्ण करावे हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि रु० 120.705 लाख (रुपये एक करोड़ दो साला लाख सत्तर छहां पाँच सौ भात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यालय महोदय राज्य स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनदेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/दस्तावेज पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तापुस्तिका रण्ड-6 दे अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित वावरथा के अनुसार प्रायोजना एवं सकाम एवं तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सकाम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

पूर्णरूपी/पूर्ण अनुलेख

10/7/15

*10/7

-2-

(123) 70

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित विधे जान कर पूर्ण दायित्व कार्यदारी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिया के युरांगत प्रविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अन्वयन करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणांकों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्रायिकताओं को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अव्युत्पत्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में साझेमिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकाष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, उम्प०, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाठचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपगति धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. रवीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उत्तीर्णी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनाभत-04-गन्दी बस्तियाँ का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों गैं सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सूजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय द्वाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।
संलग्नक: यशोकत।

श.व.टी.रा.
एवं
(एवं) लिहा
विशेष सचिव।

संख्या-623/2015/1308(1)/69-1-2015 तिथिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. गल्लेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र०, 20 सरोजनी नगरी भवान, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवा तल, संग्रह प्लेस, निविल लाइल, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन नायकम विभाग, 30प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, बदायूँ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकाश्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकाश्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र० शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को नियामीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड/फेडल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

उम्मीद है।
(एवं) लिहा
दिशेष सचिव।

आसानादेश संख्या 623/2015/1308/69-1-2015-45(वजट)/2014 दिनांक ०७ जुलाई 2015 का संलग्न

(धनराशि लाख रुपये में)

संख्या	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	दितीय/अंतिम किश्त के स्थान में स्वीकृति दोन्ही धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	बदायूँ	न0पं0, उसहेत	बाई नं0-03 व 08 में उसहेत म्याऊ बाईपास से एच-10 नथू तक एवं भीर तकी (पण्ड) से खुशीराम बाईपास म्याऊ से नथू के मकान तक, पुत्र के मकान से अनवार के मकान तक एवं हुड़ा भोठोड़ इस्लाम नगर में नाली व इण्टरलार्किंग सड़क का निर्माण कार्य।	78.48	39.24
2	बदायूँ	न0पं0, उसावां	बाई नं0-03, 04 व 08 में अमरपाल के मकान से सुखपाल के मकान तक, राजाराम धोधी औ मकान से नरेश धोधी के मकान तक एवं तोलाराम के मकान से बच्चन के मकान तक नाली एवं इण्टरलार्किंग सड़क निर्माण।	78.74	39.37
3	बदायूँ	न0पं0, दजौरगज	बाई नं0-01, 02, 05 व 09, की विभिन्न गलियों में पेहर द्वाक एवं नाली निर्माण कार्य।	44.55	22.275
4	बदायूँ	न0पं0, कुवरगांव एवं वाइला	बाई नं0-02 व 05 में लकड़ीपुर की विभिन्न गलियों में पेहर द्वाक एवं नाली निर्माण कार्य।	39.64	19.82
गोग				241.41	120.705

(स्पष्ट एक करोड़ द्विस लाख सत्तर हजार पांच सौ मात्र)

lpsk
(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।